रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022023-243927
CG-DL-E-25022023-243927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944
No. 106] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)

(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 128(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संक्रिया प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, उच्च श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, उच्च श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 2023 हैं।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि** : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	126*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जायगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति** : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु0) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होने नियमित आधार पर	1. मुख्यालय में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर	लागू नहीं होता ।

			नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी मे आठ वर्ष सेवा की है (प्रोन्नति राज्यवार की जाएगी और मुख्यालय के पद मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों से भरें जाएंगे)। **प्रतिनियुक्त :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी– (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है : या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य में आठ वर्ष सेवा की है ; और (iii) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या समतुल्य में बैचलर डिग्री है । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग से ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया	बनेगी :- (i) उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 2. राज्य की राजधानी के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) राज्य की राजधानी के क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्रीय अध्यक्ष (निदेशक की पंक्ति से कम का न हो) - अध्यक्ष (ii) राज्य की राजधानी के क्षेत्रीय कार्यालय या पड़ोसी राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय का अध्यक्ष – सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी- सदस्य	

			तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए–12018/8/2016-प्रशा.III]

नवीन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Sample Survey Office)

(FIELD OPERATIONS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2023

G.S.R. 128(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office, Upper Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk, Field Operations Division, National Sample Survey Office in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Upper Division Clerk, Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**.– No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk.	126* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 4 (Rs.25500 - Rs.81100).	Non-selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk in level - 2 (Rs.19900- Rs.63200) in the pay matrix with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (Promotion shall be made State-wise and the posts at Headquarter office shall be filled from officer working in the Headquarter). **Deputation**: Officers of the Central Government,– **(a) (i)** Holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** **(ii)** With eight years service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent in the parent cadre or Department; **and** **(b)** Possessing Bachelor Degree of a recognized University or equivalent. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.	1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) in Headquarter Office, consisting of:- **(i)** Deputy Director General, National Sample Survey Office, Field Operations Division (Headquarter) – Chairman; **(ii)** Deputy Director (Administration), National Sample Survey Office, Field Operations Division (Headquarter) - Member; **(iii)** A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member. 2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) in Regional Offices, in State Capital, consisting of:- **(i)** Regional Head in the State Capital Regional Office (not below the rank of Director) – Chairman;	Not applicable.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	**(ii)** Deputy Director in the State Capital Regional Office or Neighbouring State(s) – Member; **(iii)** A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central or State Government – Member.	

[F. No. A-12018/8/2016-Ad.III]

NAVEEN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 129(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, अवर श्रेणी लिपिक, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 2023 हैं।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना :** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है की ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	184*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु0)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा मे शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जायगा ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 कक्षा उत्तीर्ण (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)	शैक्षिक अर्हता – हाँ आयु – नहीं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जायगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना ।	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) पचासी प्रतिशत कर्मचारी चयन	स्तंभ (10) में उल्लिखित	1. मुख्यालय में समूह 'ग' विभागीय	लागू नहीं होता ।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) दस प्रतिशत रिक्तियाँ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु0) में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारीवृंद में से भरी जाएंगी जिसके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होने विभागीय अहर्क परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । विभागीय परीक्षा की अर्हता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु 50 वर्ष)। **टिप्पण 1** : यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों मे होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे की पूर्वावर्ती परीक्षा में अरहता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सकें। (iii) पाँच प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से जयेष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर भरी जा सकेंगी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 2** : प्रोन्नति राज्यवार प्रभावी होगी। अवर श्रेणी लिपिक के काडर में रिक्तियों के पचासी प्रतिशत कोटे को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा मुख्यालय के अलावा राज्यों में दस प्रतिशत और पाँच प्रतिशत कोटे को उस कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में कार्यरत समूह 'ग' कर्मचारियों क्रमश: विभागीय परीक्षा तथा प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा।	अनुसार।	प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) निदेशक (प्रशासन) या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग में एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 2. क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) राजधानी में उप महानिदेशक (प्रदेशिक) या निदेशक - अध्यक्ष (ii) राज्य(यों) की राजधानी के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों का निदेशक या उप निदेशक – सदस्य (iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी – सदस्य।	

[फा. सं. ए – 12018/8/2016-प्रशा.III]

नवीन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2023

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office, Lower Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk, Field Operations Division, National Sample Survey Office in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Lower Division Clerk, Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix**.–The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**.–The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**.– No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax**.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**.–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lower Division Clerk.	184* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 2 (Rs.19900 - Rs.63200).	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in case of general candidates and up to 45	**(i)** 12th pass from a recognized Board or University, **and** **(ii)** A typing speed of 35 word per minute in English	Educational Qualification – Yes, Age – No.	Two years for direct recruits.

years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	or 30 word per minute in Hindi on computer (35 word per minute and 30 word per minute corresponding to 10500 key depression per hour / 9000 key depression per hour on an average of 5 key depressions for each word).		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Eighty five per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission. **(ii)** Ten per cent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in the level - 1 (Rs.18000- Rs.56900) in the pay matrix possessing 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for departmental examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Caste/ Scheduled Tribes). **Note 1**: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before	As stated in column (10).	1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) in Headquarters Office, consisting of : - **(i)** Director (Administration) or Chief Administrative Officer, National Sample Survey Office, Field Operations Division (Headquarter) – Chairman; **(ii)** Deputy Director (Administration) or Deputy Director, National Sample Survey Office, Field Operations Division (Headquarter) – Member; **(iii)** A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member. 2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) in Regional Offices, consisting of : - **(i)** Deputy Director General (Region) or Director (Region) at State Capital – Chairman; **(ii)** Director or Deputy Director of other Regional Offices in the Neighbouring State(s) – Member;	Not applicable.

those who qualify at a later examination. **(iii)** Five per cent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in the level - 1 (Rs.18000-Rs.56900) in the pay matrix. **Note 2**: Promotion being effected State wise. Vacancies in the cadre of Lower Division Clerk shall be filled by direct recruitment against Eighty five per cent quota at Headquarters office as well as in States against ten per cent and five per cent quota shall be filled up by departmental examination and by promotion respectively from Group 'C' employees in the level - 1 (Rs.18000-Rs.56900) in the pay matrix working in those offices.		**(iii)** A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central or State Government – Member.	

[F. No. A-12018/8/2016-Ad.III]

NAVEEN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फ़रवरी, 2023

सा.का.नि. 130(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मल्टी टास्किंग कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, बहुकार्य कर्मचारीवृंद, भर्ती नियम, 2023 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना –** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा,जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि** : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहुकार्य कर्मचारीवृंद	261*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित	**आवश्यक** : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रिक्युलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय** : फ़ोटोकॉपियर, डुप्लो, गेस्टेटनर और फ़ैक्स मशीनों, आदि के प्रचालन का ज्ञान जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर चलाने का ज्ञान भी है। उन अभ्यर्थियों को

					जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।	प्राथमिकता दी जाएगी जो यंत्रो को चला सकते हों । (यदि उनके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जायगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना ।	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	1. मुख्यालय में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) निदेशक(प्रशासन) या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय)- अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - सदस्य;	लागू नहीं होता ।

				(iii) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी – सदस्य । 2. क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) राज्य की राजधानी में निदेशक (प्रदेशिक)- अध्यक्ष; (ii) पड़ोसी राज्य(यों) के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों का उप निदेशक – सदस्य; (iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य विभाग से सहयोजित उप निदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी – सदस्य ।	

[फा. सं. ए – 12018/8/2016-प्रशा.III]

नवीन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2023

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office, (Multi-Tasking Staff, Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff, Field Operations Division, National Sample Survey Office in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Multi-Tasking Staff, Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff.	261* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 1 (Rs.18000 - Rs.56900).	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note**: The crucial date for determining the age limit shall	**Essential**: Matriculation Examination pass from a recognised Board or equivalent. **Desirable**: Knowledge of operating of photocopying, Duplo, Gestetner and fax machines, etc. including knowledge to operate computer. Candidates who can drive vehicles (if, in possession of valid driving license) will be preferred.	Not applicable	Two years

be as advertised by Staff Selection Commission.			

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable	1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) in Headquarters Office, consisting of:- **(i)** Director (Administration) or Chief Administrative Officer, National Sample Survey Office, Field Operations Division (Headquarter) – Chairman; **(ii)** Deputy Director (Administration), National Sample Survey Office, Field Operations Division (Headquarter) – Member; **(iii)** A Group 'A' Officer from other Central Government Offices – Member. 2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) in Field Offices, consisting of:- **(i)** Director (Region) at State Capital – Chairman; **(ii)** Deputy Director of other Regional Offices in the Neighbouring State(s) – Member; **(iii)** An Officer of the rank of Deputy Director to be co-opted from other Central or State Government Department – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/8/2016-Ad.III]

NAVEEN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA